

दानपत्र

यह दानपत्र आज दिनांक को
 श्री पुत्र श्री उम्र
 निवासी-मकान नम्बर मौहल्ला/वार्ड
 तहसील जिला

जिसे आगे दानदाता कहा गया है, एवं जो इस दानपत्र का प्रथम-पक्षकार है।

एवं

श्री पुत्र श्री उम्र
 निवासी-मकान नम्बर मौहल्ला/वार्ड
 तहसील जिला

जिसे आगे दानगृहिता कहा गया है एवं जो इस दानपत्र का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित किया गया है।

चूँकि प्रथम पक्ष का सम्पत्ति जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। प्रथम पक्षकार उक्त सम्पत्ति का एक मात्र खामी होकर उसका उपभोग व उपयोग कर रहा है जिसका अनुमानित मूल्य रुपये है। चूँकि प्रथम पक्ष अपनी उक्त सम्पत्ति का दान द्वारा निष्पादन करना चाहता है। अतएव द्वितीय पक्ष की सहमति पर उक्त दान पत्र यह साक्षार्त्ता कित करता है :-

1. यह कि दानदाता अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति को खेच्छा से दानगृहीता को दान करता है व कब्जा सुपुर्द करता है जिसे दान गृहीता ने खीकार कर लिया है।
2. यह कि दानगृहीता आज दिनांक के बाद उक्त सम्पत्ति का पूर्ण खामी होगा व अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग हेतु खतंत्र होगा।
3. यह कि दानगृहीता उक्त सम्पत्ति का हस्तान्तरण अन्य को कर सकेगा।
4. यह कि आज दिनांक के बाद उक्त सम्पत्ति के संबंध में दानदाता के वारिसान को इसमे कोई हक व अधिकार नहीं होगा।
5. यह कि दानगृहीता ने उक्त सम्पत्ति का दान खीकार कर लिया है।

अनुसूची-दान की गई सम्पत्ति

अतएव उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होशहवाश में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षीगण

(1) हस्ताक्षर साक्षी हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

दानदाता

नाम

पता

(2) हस्ताक्षर साक्षी..... हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

दानगृहिता

नाम

पता